'सूचना के अधिकार' के पर कतरने की कोशिश

लोकतंत्र पर जब भी आम आदमी अपना विश्वास जमाने की कोशिश कर रहा होता है तभी इसके दरकने की भी कवायद शुरू हो जाती है। यह रेल से दिखने वाले तार की तरह ही है जिसमें जैसे ही लगता है कि तार नीचे आ रहा है, तभी एक खंभा आकर आपके विश्वास को तोड़ जाता है। मध्यप्रदेश सरकार अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से भी सूचना के बदले शुल्क वसूलेगी। सरकार यह भी चाहती है कि सूचना, अब 30 दिन की अपेक्षा 180 दिनों में मिले, हालांकि यह कुमंशा अभी निर्णय में नहीं बदल सकी है, लेकिन इससे प्रदेश सरकार की दोमुंही नीति उजागर होती है। प्रदेश में सूचना के अधिकार कानून के साथ खिलवाड़ जारी है। सरकार ने गरीबों के हाथ से सूचना का निवाला तो लगभग छीन ही लिया है। यह प्रदेश में सूचना के अधिकार के पर कतरने की साजिश है, जिससे सूचनायें छिपी रहें और जनता हलाकान होती रहे। यह हैरानी का विषय ही है कि यही वह राज्य है जहां केन्द्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार लागू न होने के पूर्व ही सूचनाओं को सार्वजनिक करने की कवायद शुरू हो गई थी । लेकिन ये क्या ! सूचना का अधिकार लागू होने के बाद इस प्रगतिशील कहे जाने वाले राज्य में सूचनायें छिपायी जा रही हैं । दरअसल तंत्र, सत्ता को पारदर्शी रखना नहीं चाहता है क्योंकि सत्ता के पारदर्शी होने से उनका वजूद भी खतरे में ही रहता है। अधिकारीगण आज भी सूचनाओं पर कुण्डली मारे बैठे हैं और सूचना आयोग को फुंफकार रहे हैं और सूचना आयोग बीन तक नहीं बजा पा रहा है। इस पूरी कवायद में सूचना आयोगों की भूमिका भी संदेहास्पद है।

मध्यप्रदेश सरकार ने सूचना के अधिकार अंतर्गत् फीस के नियमों में संशोधन (मध्यप्रदेश फीस एवं अपील नियम –2005) करते हुये यह तय किया है कि अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अब केवल 50 पृष्ठों तक ही निःशुल्क सूचना मिल पायेगी। इससे ज्यादा सूचना के लिये उन्हें शुल्क देना होगा। यह सूचना केवल उस स्थिति में ही निःशुल्क दी जा सकती है जबकि उस सूचना के लिये गरीबी रेखा के आवेदक को यह सिद्ध करना होगा कि यह सूचना उससे संबंधित है। यही शर्त हमें शासन की मंशा की ओर मोड़ती है, यह मंशा सिद्ध करती है कि यह किस तरह से हकदारियों को खत्म करने की साजिश है। सवाल यह है कि अब यह कौन तय करेगा कि यह सूचना आवेदक से संबंधित है/नहीं ? स्वभावतः यह अधिकार शासन के पास ही सुरक्षित रहेगा। सूचना का अधिकार कानून अभी वैसे ही अपने प्रभावी रूप में नहीं आ पाया था कि प्रशासनिक कुमंशाओं ने इस पर अपनी जुगलबंदी शुरू कर दी है। प्रदेश में लगातार सूचना के अधिकार के पर कतरने की कोशिशें की जा रही हैं जिससे यह कारगर कानून भी बौना साबित हो रहा है।

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह भी संशोधन करने की कोशिश कि सरकार से अब सूचना लेने की सीमा 30 दिन से बढाकर 180 दिन की जाये। हालांकि यह संशोधन राज्य सरकार की परिधि से बाहर का है और यह सुझाव सूचना आयोग ने मान्य भी नहीं किया है । इसके पीछे की मंशा यह है कि सरकारी कार्यालयों में रिकार्ड संधारण की कोई व्यवस्था नहीं है और सूचना के अधिकार की व्यवस्था में जब सूचना मांगी जाती है, तब ही रिकार्ड का संधारण किया जाता है। अपितु इसके कि सरकार अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में यह सुनिश्चित करे कि रिकार्ड़ों का संधारण सही तरीके से हो और लोगों को मांगने पर सूचना मिले, सरकार संशोधन सूचना को आम आदमी की पहुंच से दूर करने की जुगत में लगी है। जबकि केन्द्रीय कानून में रिकार्ड के संधारण के लिये तीन माह का समय दिया था। इस कुव्यवस्था को लागू करने का एक कारण यह भी समझ में आता है कि प्रदेश में अगले 6 माह में चुनाव होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में यदि कोई आवेदक आज सूचना पाने के लिये आवेदन करता है तो उसे अगले 6 माह तक सूचना नहीं मिल पायेगी यानी कि वर्तमान सरकार का भ्रष्टाचार छिपा का छिपा ही रह जायेगा।

प्रदेश सरकार की जानकारियों को देने की मंशा कहीं भी परिलक्षित होती नहीं दिखाई देती है। अभी हाल ही में यह पता चला है कि मध्यप्रदेश के पुलिस मुख्यालय में सूचना के अधिकार का कानून लागू ही नहीं है। अब सूचना आयोग ने इस पर कार्यवाही करते हुये यह कहा है कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाये। भोजन का अधिकार अभियान की एक्टिविस्ट रोली शिवहरे ने ढाई वर्ष पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग से सूचना मांगी थी, सूचना आयोग के निर्णय के बावजूद आज तक उन्हें सूचना नहीं मिल पाई है। मैंने स्वयं डेढ़ वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगी थी और इस पर विभाग ने मुझे आधी–अधूरी जानकारी ही उपलब्ध कराई है । यह प्रकरण सूचना आयोग के पास लंबित है।

यह सोचकर भी हैरानी होती है कि यही वह राज्य है जहां केन्द्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार लागू न होने के पूर्व ही सूचनाओं को सार्वजनिक करने की कवायद शुरू हो गई थी और मध्यप्रदेश जिसके बलबूते स्वशासन व्यवस्था में प्रगतिशील कहा जाने लगा था। लेकिन ये क्या ! सूचना का अधिकार लागू होने के बाद इस प्रगतिशील कहे जाने वाले राज्य में सूचनायें कहां छिपा कर रख दी गईं ? सवाल यह भी है कि प्रदेश में वास्तव में तंत्र को पारदर्शी बनाने की हिमाकत करना चाहता है या उसकी नीयत में खोट है और उसे केवल वाहवाही लूटनी थी। दरअसल में यह बयूरोक्रेटस की घिनौनी चाल है, जो यह चाहते ही नहीं कि कि सत्ता पारदर्शी हो, सत्ता के पारदर्शी होने से उनका वजूद भी खतरे में ही रहता है। अधिकारीगण आज भी सूचनाओं पर कुण्डली मारे बैठे हैं और सूचना आयोग को फुंफकार रहे हैं और सूचना आयोग बीन तक नहीं बजा पा रहा है।

सूचना के अधिकार आंदोलन को गति देने वाले मैग्ससे पुरस्कार प्राप्त अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस पूरी कवायद में सूचना आयोगों की भूमिका संदेहास्पद है क्योंकि सूचना आयोगों ने अभी तक तीन या चार अफसरों पर ही दंड की कार्यवाही की है। दरअसल में किसी भी आयोग में आयुक्तों की नियुक्तियां तो राजनैतिक ही होती हैं, और जब नियुक्ति ही आकाओं ने की हो तो आकाओं को नाराज करने की जहमत कम लोग ही उठाते हैं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि इन पदों पर अधिकांश सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट ही बैठते हैं, और वो कई पदों पर बैठ चुके हैं और आज उस पद पर

बैठे ही लोगों पर कलम नहीं ही चलती है। इसलिये भी यह कानून अपने असली रंग में नहीं दिखता है। दूसरे अधिकारियों पर आयोग का खौफ ही नहीं है, नहीं तो रोली शिवहरे के प्रकरण में सूचना आयोग केवल पत्र लिखकर अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री समझ रहा है और अभी तक विभाग ने उनको जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, वे आज भी वांछित सूचना से वंचित हैं। इसी आवेदक को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सूचना का आवेदन लगाने पर विकास आयुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। सूचना आयोग को लिखित रूप में सूचना भी दी जाती है, लेकिन वही ढाक के तीन पात। सूचना आयोग ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। इन्हीं आयोग के एक सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग के मुखिया रहे हैं, लेकिन आज तक मध्यप्रदेश पुलिस के मुख्यालय में सूचना का अधिकार ही लागू नहीं है। स्वघोषणा को भी कहीं भी अमल में नहीं लाया जा रहा है।

जिस तरह से अभी सूचना के अधिकार की स्थिति रही है, उससे यह भी सामने आ रहा है कि जमीनी स्तर पर लोगों में जागरूकता का अभाव है और सरकार को जागरूकता के लिये जो कदम उठाने थे, वो उसने नहीं उठाये हैं । जिसके चलते यह हुआ है कि जमीनी स्तर तक लोगों के पास जानकारियां ही नहीं पहुंची हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर काम कर रही संस्थाओं के कारण यदि कहीं जागरूकता आई है तो भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत उन्हें अपने मंसूबे में सफल नहीं होने देना चाहती है। वर्तमान संशोधन इसी दिशा की ओर बढ़ाया गया कदम है। सरकार ने भी इस संशोधन की भनक किसी को नहीं लगने दी और यह संशोधन तीन माह बाद प्रकाश में आया । दरअसल सरकार चुनावी साल में कोई भी हंगामा नहीं चाहती है । इधर जानकारी के अभाव में ही इन नये संशोधनों को लेकर भी कोई विरोध नहीं हो रहा है, और सरकार ने गरीबों के हाथ से सूचना का निवाला तो लगभग छीन ही लिया है । लोकतंत्र पर जब भी आम आदमी अपना विश्वास जमाने की कोशिश ही करता है तभी इसके दरकने की भी कवायद शुरू ही हो जाती है। यह रेल से दिखने वाले तार की तरह ही है जिसमें जैसे ही लगता है कि तार नीचे आ रहा है, तभी एक खंभा आकर आपके विश्वास को तोड़ जाता है। यह प्रदेश में सूचना के अधिकार के पर कतरने की साजिश है, जिससे सूचनायें छिपी रहें और जनता हलाकान होती रहे।

प्रशान्त कुमार दुबे

जानो रे अभियान
ई–8 / 63, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
9425026331
prashantd1977@gmail.com